(22)

सं० सं०–टी–3/भवन–55/2016–2402/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–27/11/2019

विषयः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में 40 किलोवाट 3–फेज विद्युत कनेक्शन एवं 63 KVA ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि 3,26,280.00 (तीन लाख छब्बीस हजार दो सौ अस्सी) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में 40 किलोवाट 3–फेज विद्युत कनेक्शन एवं 63 KVA ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के पत्रांक–184, दिनांक–21/09/2019 द्वारा कुल राशि 3,26,280.00 (तीन लाख छब्बीस हजार दो सौ अस्सी) रू० मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल राशि 3,26,280.00 (तीन लाख छब्बीस हजार दो सौ अस्सी) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0118–नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–26–2230030030118 के विषय शीर्ष–0118–13–01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी प्राचार्य/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

5– संचिका संख्या–टी–3/भवन–55/2016 के पृष्ठ –23/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6– प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–55/2016 –2402 /प ट ना, दिनांक–27/11/2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–55/2016 –2402 /प ट ना, दिनांक–27/11/2019

प्रतिलिपिः–आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, शेखपुरा/प्रभारी प्राचार्य/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग